

# अवैध हथियार सप्लायर गन हाउस संचालक गिरफ्तार

## एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और प्रतापगढ़ पुलिस का बड़ा खुलासा

जयपुर । राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी सलमान को कारतूस और हथियार उपलब्ध कराने वाले गन हाउस संचालक रमाशंकर को उत्तर प्रदेश के एटा से गिरफ्तार किया गया है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन के निर्देशन और उपमहानिरीक्षक पुलिस योगेश यादव के सुपरविजन में महानिदेशक पुलिस द्वारा अवैध हथियार तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत एजीटीएफ और प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है।

एजीजी एमएन ने बताया कि यह ऑपरेशन 28 जून 2025 को शुरू हुआ, जब छोटी सादड़ी थानाधिकारी प्रवीण टांक द्वारा राकेश राठौर पुरा कचरू लाल निवासी मालपुरा बाजार थाना गंगधार जिला झालावाड़ नाम के व्यक्ति को एक ऑटोमेटिक देशी पिस्टल, दो खाली मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। राकेश अवैध हथियार सप्लाई चैन



पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तारकिया।

का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उसकी गिरफ्तारी इस कार्रवाई की अहम कड़ी साबित हुई।

राकेश से मिली सूचना के आधार पर एजीटीएफ और छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने अपराध जगत के बड़े नाम सलमान पुत्र शेरखान निवासी नागदा को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर 14 देशी और विदेशी हथियार और 1860 जिंदा कारतूस बरामद किए। सलमान से एजीटीएफ और थाना पुलिस की टीम इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में लगातार पूछताछ कर रही थी। इतनी भारी मात्रा में हथियार

■ **यूपी के एटा से पकड़ा गया कुख्यात रमाशंकर, अपराध जगत को हथियार देने का था मास्टरमाइंड**

गया। जांच में सामने आया है कि रमाशंकर काफी समय से अपनी लाइसेंस दुकान की आड़ में मोटा मुनाफा कमाकर अपराधियों को कारतूस और हथियार उपलब्ध करा रहा था।

पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर आगे की रणनीति तैयार कर रही है। इस कार्रवाई में एजीटीएफ के कांस्टेबल ड्राइवर सुरेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अभियान में शामिल पुलिस टीमों के सभी सदस्य, जिन्होंने मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, वे हैं: एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जयपुर से पुलिस निरीक्षक सुभाष सिंह, एसएसआई शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल कमल सिंह, सुरेश कुमार, कांस्टेबल नरेश और कांस्टेबल चालक सुरेश तथा थाना छोटी सादड़ी से एसएचओ प्रवीण टांक, एसआई निर्भय सिंह, एसएसआई शिवराम, हेड कांस्टेबल मगनलाल और कांस्टेबल रामराज।

# शहर को गन्दा करने वाले दोषी व्यक्तियों पर हो रही कारवाई

## सीएनडी वेस्ट फैलाने वाले दोषी व्यक्तियों पर नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा की जा रही है कार्रवाई

जयपुर । जयपुर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ग्रेटर की टीमें सतत प्रयासरत हैं तथा शहर को गंदा करने वाले दोषी व्यक्तियों पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से अब तक तक खुले में कचरा फैकने, सीएनडी वेस्ट डालने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाली, कचरा जलाने वालों सहित स्वच्छता के विभिन्न मापदण्डों का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों पर नगर निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसके तहत स्वच्छता के विभिन्न मापदण्डों का उल्लंघन करने पर 1 अप्रैल 2025 से अब तक लगभग कुल 40 लाख 34 हजार रुपये वसूल किये जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि शहर की स्वच्छता हमारे लिए प्राथमिकता है, यदि कोई भी व्यक्ति शहर को गन्दा करता है, खुले में कचरा फैकता है, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करता है स्वच्छता के मापदण्डों का उल्लंघन करता है तो दोषी व्यक्ति से कैरिंग चार्ज वसूल किया जायेगा। नगर निगम ग्रेटर की टीमें लगातार सफाई कार्य में जुटी है शहर को स्वच्छ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है।

नगर निगम ग्रेटर की सख्त कार्रवाई:- स्वच्छ सर्वेक्षण के विभिन्न मापदण्डों का उल्लंघन करने वाले जैसे

- 01 अप्रैल 2025 से अब तक 40 लाख रुपये से अधिक जुर्माना किया वसूल
- झोटवाड़ा जोन ने जुलाई माह के 7 दिनों में वसूले 75 हजार रुपये जुर्माना
- खुले में कचरा डालने, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने दोषी व्यक्तियों से 28 लाख 33 हजार से अधिक जुर्माना वसूल किया

खुले में कचरा डालने, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने दोषी व्यक्तियों से 28 लाख 33 हजार से अधिक जुर्माना वसूल किया सीएनडी वेस्ट पर 8 लाख 5 हजार 600 रुपये, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दोषियों से 3 लाख 67 हजार 850 रुपये जुर्माना राशि वसूल की गई। झोटवाड़ा जोन द्वारा अब तक सबसे अधिक कैरिंग चार्ज वसूल किया गया जिसके तहत जुलाई माह के मात्र 7 दिनों में 75 हजार रुपये के चालान कोट साथ ही सीएनडी वेस्ट डालकर रोड़ पर अतिक्रमण करने वाले दोषी व्यक्ति से 1 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 55 हजार रुपये एक ही दिन में वसूल किये गये।

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 1 करोड़ 99 लाख रुपये का कैरिंग चार्ज कैरिंग चार्ज/जुर्माना दोषी व्यक्तियों से वसूल किया गया।

सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के विरुद्ध अब तक 32

लाख रुपये जुर्माना वसूल किया जा चुका है साथ ही लगभग 2123 किलो ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई है। नगर निगम ग्रेटर द्वारा आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिये समझाइश की जा रही है साथ ही महेश नगर सब्जी मण्डी, जनता स्टोर, बापू नगर, थड़ी मार्केट मानसरोवर, मुरलीपुरा सब्जी मण्डी, जगतपुरा सब्जी मण्डी, सांगानेर सब्जी मण्डी, अम्बाबाड़ी सब्जी मण्डी सहित 8 स्थानों पर क्लॉथ वेडिंग मशीन स्थापित कर आमजन को कपड़े के थैले उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इसके साथ ही जोन स्तर एवं मुख्यालय पर स्थापित मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्रों के माध्यम से जरूरतमंदों तक कपड़े, जूते, किताबें, स्टेशनरी अन्य उपयोगी सामग्री पहुंचाई जा रही है। अब तक इन केन्द्रों द्वारा लगभग 10 हजार से अधिक नागरिकों द्वारा अनुपयोगी सामान उपलब्ध करवाया गया। जो किसी अन्य जरूरतमंद के काम आ सकता है।

# ‘आवेदन से सत्यापन तक सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर तकनीकी रूप से यूजर फ्रेंडली बनाया जाए’

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि पेंशन, छात्रवृति सहित विभिन्न योजनाओं के आवेदन से लेकर सत्यापन की सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर उन्हें तकनीकी रूप से

■ **अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश**

यूजर फ्रेंडली बनाया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन को तुरंत मिल सके। अरोड़ा सोमवार को विभाग के मुख्यालय अम्बेडकर भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, विशेष योग्यजन विभाग एवं अनुजा निगम के प्रभारी अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रही थी।उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी सपोर्ट के साथ लोगों की मदद करने के निर्देश दिए।उन्होंने विभिन्न



अरोड़ा सोमवार को विभाग के मुख्यालय अम्बेडकर भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग के प्रभारी अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की।

योजनाओं का सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल बनाते हुए सिटीजन ऐप विकसित करने के भी निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 3 घंटे की मैराथन बैठक लेते हुए सभी योजनाओं का पीपीटी प्रस्तुतीकरण देखा और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कम आवेदन वाली योजनाओं के प्रचार-प्रसार और जागरूकता संबंधी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण योजनाओं की स्वयं के स्तर पर भी मॉनिटरिंग करें। जिस स्तर पर भी प्रक्रिया को सरल किया जा सकता है उसे क्रियान्वित करवाने का प्रयास करें। अरोड़ा

ने कहा कि विभाग द्वारा ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया जाए जिससे विभिन्न योजनाओं का आवेदन, सत्यापन सहित अन्य जांचें पंचायत स्तर पर ही हो सकें। उन्होंने कहा कि ब्लॉक और जिला स्तर पर होने से प्रक्रणों में देरी होने की आशंका होती है। इस दौरान पालनहार, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना, बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना, स्वयं सिद्धा आश्रम, महाविद्यालय आवासीय छात्रावास, मुख्यमंत्री कन्यादान, वृद्ध कल्याण, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संवर्ल सहित पेंशन, छात्रवृति संबंधी विभिन्न योजनाओं

# भारतीय जीवन बीमा निगम ने नई योजनाएं शुरू की

जयपुर। भारतीय जीवन बीमा निगम के सीईओ और एमडी (प्रभारी) सतपाल भानु ने को नई योजनाएं शुरू कीं एलआईसी की नव जीवन और एलआईसी की नव जीवन सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट योजना है जो टेबुलर प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीड एंडिशन प्रदान करता है। प्रीमियम का भुगतान 6, 8, 10 और 12 वर्षों के हिसाब से किया जा सकता है। प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 30 दिन (पूरी) है। प्रवेश के समय अधिकतम आयु 60 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) है, जो कि पीपीटी 6.8 और 10 वर्ष के लिए है, तथा पीपीटी 12 वर्ष के लिए 59 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) है। चुने गए पीपीटी के अनुसार न्यूनतम पॉलिसी अवधि 10 से 16 वर्ष है, अधिकतम पॉलिसी अवधि 20 वर्ष है, प्रीमियम भुगतान अवधि 6.8,10 और 12 वर्ष है, न्यूनतम मूल बीमा राशि 5,00,000 रुपये है।

एलआईसी की नव जीवन थी (योजना 912) का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर युवा पीढ़ी की सभी जरूरतों को पूरा करना है, जो अगले सपनों, लक्ष्यों, जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं और साथ ही सुरक्षा भी प्रदान करना है। एलआईसी की नव जीवन थी (योजना 911) सिंगल प्रीमियम पॉलिसी का उद्देश्य जीवन बीमा प्रदान करने के साथ-साथ कोप (कॉर्पस) का

निर्माण करना है। वर्तमान परिवेश में जब व्याज दरें बहुत अस्थिर हैं, ये दोनों प्लान पॉलिसी अवधि के दौरान गारंटीड एंडिशन प्रदान करते हैं। यह एक सीमित प्रीमियम एंडोमेंट योजना है जो टेबुलर प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गारंटीड एंडिशन प्रदान करता है। प्रीमियम का भुगतान 6, 8, 10 और 12 वर्षों के हिसाब से किया जा सकता है। प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 30 दिन (पूरी) है। प्रवेश के समय अधिकतम आयु 60 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) है, जो कि पीपीटी 6.8 और 10 वर्ष के लिए है, तथा पीपीटी 12 वर्ष के लिए 59 वर्ष (निकटतम जन्मदिन) है। चुने गए पीपीटी के अनुसार न्यूनतम पॉलिसी अवधि 10 से 16 वर्ष है, अधिकतम पॉलिसी अवधि 20 वर्ष है, प्रीमियम भुगतान अवधि 6.8,10 और 12 वर्ष है, न्यूनतम मूल बीमा राशि 5,00,000 रुपये है।



कांग्रेसी पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा कोटा, ( निसं )। कोटा में कांग्रेसी वार्डों में विकास में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पार्षदों ने ऑंदोलन शुरू कर दिया है। कोटा दक्षिण निगम के उपमहापौर पवन मीणा की अगुवाई में पार्षद करीब डेढ़ किमी तक दंडवत करते हुए नगर निगम से एसी के गणेश मंदिर तक पहुंचे।

# पतंजलि ने ‘दन्त कांति गंडूष ऑयल पुलिंग’ लॉन्च किया

राष्ट्रीय/ हरिद्वार। पतंजलि ने आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए दन्त कांति गंडूष ऑयल पुलिंग नामक उत्पाद लांच किया। यह उत्पाद आयुर्वेद ग्रंथों में उल्लिखित गंडूष विधि पर आधारित है। आयुर्वेद में इसे 'दिनचर्या' का अभिन्न हिस्सा माना गया है।

दन्त कांति गंडूष ऑयल पुलिंग का भव्य अनावरण परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और परम् श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज एवं इंडियन डेंटल एसोसिएशन,उत्तराखंड शाखा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बंसल,सचिव डॉ. विश्वजीत वालिया,कोषाध्यक्ष डॉ. वैभव पाहवा के कर-कमलों द्वारा किया गया।

इस अवसर पर योगगुरु स्वामी रामदेव जी ने कहा पतंजलि का यह प्रयास योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान है। पतंजलि केवल उपचार नहीं,अपितु संस्कृति,परंपरा और विज्ञान का सामंजस्य विश्व के सभी में प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने कहा कि



पतंजलि ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करते हुए दन्त कांति गंडूष ऑयल पुलिंग नामक उत्पाद लांच किया।

आजकल लोग यह भूल गए हैं कि अपने शरीर को कैसे करना है और उसके साथकैसे करना है। पतंजलि योग और आयुर्वेद के माध्यम से इसको जन्मानस को सिखाने का कार्य कर रहा है।

इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा की यह उत्पाद हमारे पतंजलि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की तीन वर्षों के अथक पुरुषार्थ और समर्पण का

■ **‘दन्त कांति गंडूष ऑयल पुलिंग केवल एक दैनिक क्रिया नहीं, यह एक चिकित्सा विज्ञान है,जो आज के समय की आवश्यकता है’**

इंडियन डेंटल एसोसिएशन,उत्तराखंड शाखा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बंसल, कोषाध्यक्ष डॉ. वैभव पाहवा, पतंजलि हॉस्पिटल के दंत विभाग प्रमुख एवं इंडियन डेंटल एसोसिएशन,हरिद्वार शाखा के सचिव डॉ. कुलदीप सिंह,पतंजलि अनुसन्धान संस्थान के उपाध्यक्ष एवं प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अनुराग वार्णण्य,इंडियन डेंटल एसोसिएशन,हरिद्वार शाखा के कोषाध्यक्ष डॉ. गुरप्रीत आंबराय तथा उत्तराखंड के कई प्रख्यात दन्त चिकित्सक उपस्थित रहे।

# जयपुर विकास प्राधिकरण : ‘वर्किंग ग्रुप’ का गठन



अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 एवं नियम 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक "वर्किंग ग्रुप" का गठन किया।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 एवं नियम 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक "वर्किंग ग्रुप" का गठन किया है। इस कार्य समूह का उद्देश्य अपीलों के निस्तारण में तेजी लाना और संबंधित मुद्दों का समाधान करना है।

जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी ने बताया कि जेडीए द्वारा अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 2015 एवं नियम 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक "वर्किंग ग्रुप" का गठन किया गया है। उक्त वर्किंग में विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों को इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए शामिल किया गया है। कार्य समूह में निम्नलिखित

सदस्यों को सदस्य बनाया गया गया है:अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व),उपायुक्त, जोन-12, उप नगर नियोजक / सहायक नगर नियोजक, जोन-12, सहायक अधिवक्ता, जोन-12 , उप नगर नियोजक / सहायक नगर नियोजक, जोन-7।

यह वर्किंग ग्रुप अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के नियमों का अध्ययन करेगा और एक्ट में निर्धारित प्राधिकरण के दायित्वों, शक्तियों और कार्यों के संबंध में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही, यह समूह समस्या निराकरण और कार्रमों के आमुखीकरण की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करेगा।

# शादी करने का झांसा देकर युवती से देह शोषण

जयपुर। करघनी थाना इलाके में बॉयफ्रेंड ने शादी करने का झांसा देकर युवती से देह शोषण करने का मामला सामने आया है। जानकारी में सामने आया कि आरोपित अखलील वीडियो बनाकर अब पीडित को ब्लैकमेल कर बदनाम करने की धमकी दी। इस संबंध में पीडित युवती थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया।

पुलिस ने बताया कि करघनी की रहने वाली युवती ने मामला दर्ज करवाया है कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात आरोपित युवक से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपित ने उससे दोस्ती कर मिलना-जुलना शुरू कर दिया। अपनी बातों के जाल में फंसा कर शादी करने का ऑफर रखा। आरोप है कि मिलने बुलाकर अकेले में आरोपी ने उसके साथ जबरजस्ती की।

विरोध करने पर शादी करने का वादा किया। शादी करने का झांसा देकर लगातार देहशोषण करने लगा। इस दौरान बनाए अखलील वीडियो से ब्लैकमेल कर बदनाम करने की धमकी दी। शादी करने का दबाव बनाते पर आरोपी बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

# स्वायत्त शासन विभाग समिति का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न



जयपुर। स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की विभागीय समन्वय समिति का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को विभाग परिसर में गरिमापूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ, जहां संगठनात्मक एकता, विश्वास और प्रतिबद्धता की नई बुनियाद रखी गई।

समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष शशि भूषण शर्मा, महामंत्री विकास चौधरी सहित कुल 14 पदाधिकारियों, 11 सदस्यों एवं 9 सलाहकारों ने संविधान के प्रति आस्था एवं विभागीय दायित्वों के ईमानदारीपूर्वक निर्वहन की शपथ ली।

इस अवसर पर अध्यक्ष शर्मा ने विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करने और कर्मचारियों के हितों की सतत रक्षा का संकल्प दोहराया। उन्होंने

कहा कि समिति समर्पण, संवाद और सहयोग की भावना के साथ कार्य करेगी, जिससे विभाग में कार्यसंस्कृति और बेहतर होगी। विशिष्ट सचिव एवं निदेशक इन्द्रजीत सिंह ने नवचयनित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दीं ।

समन्वय तथा पारदर्शिता के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि समिति कर्मचारियों और विभाग के बीच सेतु बनकर रचनात्मक भूमिका निभाएगी। समारोह में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कर्मचारियों की उपस्थिति रही। आयोजन में उत्साह, संगठनात्मक ऊर्जा और भाविव्य के प्रति विश्वास स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ।

# जयपुर जंक्शन के बाहर से निगम प्रशासन ने हटाए अस्थायी अतिक्रमण

जयपुर। जयपुर जंक्शन के बाहर व्याप्त गंदगी और अस्थायी अतिक्रमण पर हेरिटेज निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। हेरिटेज निगम की सिविल लाइन जोन और सतर्कता शाखा ने संयुक्त अभियान चलाते हुए दुकानों



जयपुर जंक्शन के बाहर व्याप्त गंदगी और अस्थायी अतिक्रमण पर हेरिटेज निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की।

■ **शनिवार देर रात निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने किया था निरीक्षण, सख्त कार्रवाई के दिए थे निर्देश**

के बाहर सड़क और फुटपाथ पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया, इसके अलावा निगम की बाहर गंदगी पाई गई और डस्टबिन नहीं थे, उनका 49500 रुपए का जुर्माना कर दिया, साथ ही पांच ट्रक सामान भी जब्त किया गया।

इस संबंध में सिविल लाइन जोन उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने बताया कि जयपुर जंक्शन के बाहर काफी समय से गंदगी होने और अस्थायी अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी। इस पर हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल

के निर्देश पर सोमवार को सतर्कता शाखा के साथ मिलकर अतिक्रमण को हटा दिया।

इस दौरान कई दुकानों के बाहर कच्चे पक्के अस्थायी निर्माण को भी जेसीबी की सहायता से हटा दिया है। वहीं, दुकानों के बाहर डस्टबिन नहीं मिलने और कचरा सड़क पर फैकने पर भी कार्रवाई करते हुए 49500 रुपए केरिंग चार्ज वसूल किया गया है। जयपुर जंक्शन के बाहर जाम की स्थिति नहीं बनें, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा व्यापारियों को

सख्त हिदायत दी है कि दुकानों के बाहर दो डस्टबिन नहीं रखने पर सौज की भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार शहर के दौरे पर हैं। निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने एक दिन पहले शनिवार को देर रात में जयपुर जंक्शन के बाहर सफाई व्यवस्था को जांचा था। जिसमें गंदगी मिलने पर स्वास्थ्य निरीक्षक को लताड़ लगाई थी और सख्त एक्शन लेने के निर्देश भी दिए थे।